प्रेस-विज्ञप्ति

दीव जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सलोनी राय ने बैठक में चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा

पोस्टल बैलेट के जरिये चुनाव में संलग्न कर्मियों ने आज किया मतदान

दीव 03 नवम्बर, 2020 : दीव में ग्राम पंचायत सदस्यों और सरपंचों के साथ जिला पंचायत के लिए 8 नवम्बर को होने वाले आम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दीव जिला समाहर्ता एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सलोनी राय ने सभी नोडल एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उप-समाहर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोडल अधिकारी, फ्लाईंग स्कवाड टीम, विशेष कार्यकारी मेजिस्ट्रेट, वीडियो सर्विलांश टीम एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जिला समाहर्ता ने सभी मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जाना। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी मतदान केन्द्रों पर शौचालय, पेयजल और विद्युत की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी 26 मतदान केन्द्रों में मतदाताओं के लिए मास्क, हैंड-ग्लॉब्स और सेनिटाईजर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा । कोरोना महामारी के मद्देनजर मतदान के लिए आनेवालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना अनिवार्य होगा और प्रत्येक मतदाता का थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा तथा उन्हें अपने हाथ सेनिटाईज करने के बाद ही मतदान करना होगा। इस दौरान वे मास्क एवं ग्लॉब्स अनिवार्य रूप से पहनें। इसके लिए आशा-वर्कर और ए.एन.एम. की तैनाती प्रत्येक मतदान केन्द्र पर की जाएगी। पुलिस विभाग ने बताया कि सुरक्षा के सभी बंदोबस्त कर लिये गये हैं और सभी जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है, ताकि दीव में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराया जा सके।

मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था करने के दिशा-निर्देश जारी किये गये, ताकि ऐसे मतदाताओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दीव में कुल 88 दिव्यांग मतदाता हैं। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को विशेष चौकन्ना रहते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटने के लिए निर्देश दिये गये। मीडिया प्रबंधन के नोडल अधिकारी को निर्देश दिये गये कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और अन्यत्र किसी भी तरीके से कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को प्रभावित करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही आज दीव समाहर्तालय के सभागार में चुनाव कार्यों में संलग्न कर्मचारियों ने दीव ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत के आम चुनाव हेतु पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मतों का प्रयोग किया। यह मतदान सुबह 11.30 बजे से आरंभ हुआ। इस दौरान चुनाव में शामिल कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। मतदान शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न हुआ। ध्यातव्य है कि 8 नवम्बर को दीव ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत के लिए ई.वी.एम. से मतदान होना है। चुनाव के लिए मतगणना 11 नवम्बर को होगी।

हस्ता/-

(नोडल अधिकारी / जन-सपर्क अधिकारी)

दीव